GST By Sudhir Halakhandi

अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद :- रिवर्स चार्ज

<u>अन- रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल या सेवा की सप्लाई - कर भुगतान रिवर्स चार्ज के अधीन</u>

जी.एस.टी. के दौरान सामान्यतया कर का भुगतान माल या सेवा की सप्लाई करने वाले को करना होता है लेकिन इस कानून के तहत कुछ प्रावधान इस तरह से भी बनाए गए है जिनके अनुसार कर का भुगतान माल और सेवा के प्राप्तकर्ता को करना होगा.

इसी में से एक है अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा सप्लाई की गई सेवा और माल पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करना जिसे सी. जी.एस.टी. कानून की धारा 9 (4) में बताया गया है और इसी तरह के कानून आई.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. कानून में भी है .

SUDHIR HALAKHANDI

जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (4) में अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर खरीददार को कर चुकाने का प्रावधान है जिसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है जिसके तहत माल और सेवाएं दोनों ही आती है . आइये इस प्रावधान का अध्ययन करें जो आने वाले समय में आपके व्यापार को प्रभावित करेगी लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को भी प्रभावित करेगी.

रिवर्स चार्ज

एक पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में जो कि एक एक अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जो पंजीकृत नहीं है की जाती है उस पर प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जायगा.
इस प्रकार के प्राप्तकर्ता पर इस अधिनियम के समस्त प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जो कि सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है पर लागू होते है .

SUDHIR HALAKHANDI

आइये इसे कुछ सवालों के माध्यम से इस प्रावधान को समझाने का प्रयास करते हैं :-

हम एक रजिस्टर्ड डीलर है और इस समय जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदे है तो हमें इन्पुट क्रेडिट नहीं मिलती है लेकिन हमने अब यह सुना है की जी.एस.टी. के दौरान इस संम्बंध में अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद के सबंध में प्रक्रिया बदल गई है .

अब यदि हम अन रजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो जी.एस.टी. के दौरान क्या नया होगा ?

-अभी तो आपको क्यों कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है क्यों कि आप इस खरीद

पर किसी भी तरह का कर नहीं देते है लेकिन अब यह प्रक्रिया जी.एस.टी. के दौरान बदल जायेगी.

जी.एस.टी. के दौरान यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो आपको इस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर भरना होगा और फिर जब आप इस माल को बेचेंगे तो आप को इसकी क्रेडिट मिल जायेगी लेकिन यदि इस टैक्स की इनपूट लेने के योग्य नहीं है तो यह कर आपको भुगतना होगा.

क्या रिवर्स चार्ज के प्रावधान कम्पोजीशन डीलर्स पर भी लागू होंगे ?

-हाँ यदि आप कम्पोजीशन डीलर है और आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते है तो भी आपको इसी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा और यह कर चुकाने के बाद आपको कम्पोजीशन कर का भी भुगतान करना होगा.

SUDHIR HALAKHANDI

क्या सेवाओं की प्राप्ती पर जो की अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है पर भी यह प्रावधान लागू होगा.

- हाँ , यदि सेवाएं जो कि अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है उनपर भी यह प्रावधान लागू होगा और ऐसी सेवाएं को प्राप्त करने वाले रजिस्टर्ड डीलर्स को भी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा.

क्या इस प्रकार से चुकाये हुए कर की इनपुट क्रेडिट भी मिलेगी ?

- हाँ इस तरह से चुकाए हुए कर की इनपुट क्रेडिट जहाँ भी मिलने योग्य होगी उसी तरह से मिलेगी जैसे कि रजिस्टर्ड डीलर्स की खरीद पर मिलती है .

क्या अनरजिस्टर्ड डीलर के द्वारा सप्लाई की गई हर वस्तु एवं सेवा पर रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना होगा.

- हाँ यदि रजिस्टर्ड डीलर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल या सेवाएं प्राप्त करता है तो उसे रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा और यह प्रावधान माल और सेवाओं दोनों पर लागू होगा.

जिन सेवाओं या माल पर इनपुट क्रेडिट स्वीकृत नहीं है क्या उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर देना होगा.

SUDHIR HALAKHANDI

- हाँ जिन सेवाओं के पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा और वह माल या सेवा की लागत में जुड़ जाएगा .

क्या व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स टैक्स के अनुसार कर देना होगा.

- व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स टैक्स के अनुसार कर देना होगा.

इस प्रावधान को एक विस्तृत व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाइये ?

- देखिये इसे हम एक उस व्यापारी के सन्दर्भ में समझते है जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से 50000.00 रूपये का ऐसा माल खरीदते है जिस पर कर की दर 12 प्रतिशत है जिसमें से 6 प्रतिशत केंद्र का कर है और 6 प्रतिशत राज्य का कर है.
  आइये अब इस व्यवहार में किस तरह से रिवर्स चार्ज काम करेगा .

  इस खरीद पर रिवर्स चार्ज का प्रावधान लागू होगा और खरीददार इस खरीद पर 6 प्रतिशत की दर से 3000.00 रूपये एस.जी.एस.टी और 3000.00 रूपये सी.जी.एस.टी. के रूप में चुकायेंगे और आपके द्वारा चुकाया गया यह कर आपको इनपुट क्रेडिट के रूप में अपने रिटर्न में वापिस मिल जाएगा. इसके लिए आप अपने आप को ही एक बिल काटेंगे और इस तरह से रिवर्स चार्ज की यह प्रक्रिया पूरी होगी.

SUDHIR HALAKHANDI

क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी इस तरह से किये गए भुगतान का इनपुट क्रेडिट मिलेगा .

- कम्पोजीशन डीलर्स को किसी भी खरीद पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान का भी इनपुट क्रेडिट नहीं इलेगा.

क्या यह प्रावधान अन रजिस्टर्ड डीलर के व्यवसाय को प्रभावित करेगा.

- हाँ . अब रजिस्टर्ड डीलर्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदने आर जुडी हुई प्रक्रियाओं से बचने के लिए उनसे माल खरीदने या सेवाएं प्राप्त करने की जगह अब रजिस्टर्ड डीलर्स से ही माल एवं सेवाएं प्राप्त करें को प्राथमिकता देंगे और निश्चित रुप से यह अन रजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को प्रभावित करेगी .

अनरजिस्टर्ड डीलर्स के लिए अब क्या उपाय है कि उनका व्यापार जी.एस.टी. के दौरान इस प्रावधान के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो ?

- जो डीलर्स रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ काम करते है अर्थात उन्हें माल बेचते है या उन्हें सेवाएं देते है उन्हें अब थ्रेशहोल्ड लिमिट (20 लाख रूपये) का ध्यान रखे बिना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए.
- Ca Sudhir Halakhandi

  E-mail - Sudhirhalakhandi@gmail.com

  visit me -www.halakhandi.com

  subscribe our Youtube channel - GST By Sudhir Halakhandi

SUDHIR HALAKHANDI